

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक:प.26(9)संसद / 2014

जयपुर, दिनांक: 19/12/2023

परिपत्र

- विषय:- 1. विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर समय पर नहीं आना और प्राप्त प्रतियों/सहपत्रों को पढ़ने योग्य नहीं होना।
2. प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित प्रश्नों को स्थगित कराने अथवा उनका अन्य विभागों से संबंध होने के कारण स्थगित करानेबाबत्।

16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथमसत्रबुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे से प्रारम्भ होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर यह ध्यान में लाया जाता है कि शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा सदन में प्रश्न काल में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर नियत तिथि को प्रातः 10.30 बजे तक भेजे जाते हैं तथा प्रश्नों की प्रतियां व सहपत्र आदि पढ़ने योग्य नहीं होते हैं, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा ने गंभीर रूप से माना है तथा गत सत्र के दौरान यह निर्देश दिए थे कि प्रश्न की नियत तिथि के पूर्व कार्य दिवस के सायं 5.00 बजे से पूर्व विधानसभा सचिवालय में पहुँच जाने चाहिए, इसके बाद पहुँचने वाले प्रश्न को स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 295 के अन्तर्गत उठाये गये विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के उत्तर भी निर्धारित समय पर नहीं भिजवाये जाते हैं, जिसके कारण माननीय सदस्यों से काफी शिकायतें प्राप्त होती हैं। विधानसभा सचिवालय ने यह बताया है कि प्रश्नों की सूची मुद्रित हो जाने के बाद उत्तर हेतु नियत तिथि को, "प्रश्न का अमुक विभाग से संबंध नहीं" होना बताया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः गलत है और नियमों के विपरीत है। समस्त विभागों से यह अपेक्षा है कि प्रश्न प्राप्त होते ही यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त प्रश्न उनके विभाग से संबंधित है अथवा नहीं, यदि वह प्रश्न उनके विभाग से संबंधित न हो तो वे उसे अपने स्तर पर संबंधित विभाग को तुरन्त भिजवा कर उससे विधानसभा सचिवालय को अवगत करायें तथा उन्हें प्राप्त प्रश्न तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के नोटिस के रूप में तो प्राप्त नहीं हुआ है, अथवा कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है जो गत सत्र में सूचीबद्ध हो चुका है तथा उसका उत्तर दिया जा चुका है अथवा हू—ब—हू फिर से दूसरा प्रश्न उनको प्राप्त हो गया है तो प्रश्न से संबंधित विभाग के शासन सचिव द्वारा वस्तुस्थिति से विधानसभा सचिवालय को अविलम्ब अवगत कराया जाना चाहिए।

विधानसभा के गत सत्रों में प्रायः यह देखने में आया है कि संबंधित प्रश्नासनिक विभागों द्वारा संसदीय कार्य विभाग के परिपत्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता एवं अधिकांशतः प्रश्न सूचीबद्ध हो जाने के पश्यात ही दूसरे विभाग को स्थानान्तरित करने की सूचना, विधानसभा सचिवालय को भिजवायी गयी एवं प्रश्न में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विस्तृत सूचना माँगे जाने की बात कहकर उसे स्थगित एवं अखीरीकार किए जाने का आग्रह किया गया, जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। अतः इस ओर समस्त शासन सचिवों का ध्यान पुनः आकर्षित कर निवेदन है कि वे निम्नलिखित अनुदेशानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें:-

- विधानसभा प्रश्नों के उत्तर की 20 सुपाठ्य प्रतियां उसके सहपत्रों/सूचियों आदि सहित विधानसभा सचिवालय को भिजवायी जाये तथा प्रश्न का एक से अधिक सदस्य से संबंध होने की स्थिति में उतनी ही अधिक प्रतियां भिजवायी जायें तथा विधानसभा सचिवालय से यदि कोई प्रश्न पुनरावृत्ति के रूप में प्राप्त हो तो उसकी सूचना भी तुरन्त विधानसभा सचिवालय को भिजवा दी जाए। संबंधित प्रश्न के उत्तर हेतु नियत दिन से एक दिन पूर्व विधानसभा सचिवालय में उत्तर सामग्री पहुँचा देने की व्यवस्था हर स्थिति में कर देनी चाहिए। प्रश्नोंतरों की एक प्रति मुख्यमंत्री महोदय (विधानसभा कार्यालय) को भी भेजी जानी चाहिए। सभी विधानसभा प्रश्नों के प्रति उत्तर प्रश्न के उत्तर दिए जाने की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व संबंधित मंत्रीगण से अनुमोदन कराया जाना चाहिए।
- विधानसभा सचिवालय द्वारा भिजवाए गए प्रश्नों को प्राप्त होते ही सर्वप्रथम विभागों द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि प्राप्त प्रश्न उनके विभाग से संबंधित है अथवा नहीं, उक्त प्रश्न का यदि विभाग से कोई संबंध नहीं है तो ऐसे प्रश्न को संबंधित विभाग को तुरन्त भेज कर विधानसभा सचिवालय को सूचित करें ताकि प्रश्न सूचियों में मुद्रित होने की स्थिति में प्रश्नों के स्थानान्तरण संबंधी असुविधा को टाला जा सके। किसी भी स्थिति में उस प्रश्न को विधानसभा को मूल रूप में नहीं लौटाना चाहिए, अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर मामला मुख्य सचिव महोदय के तथा संबंधित मंत्री महोदय के नोटिस में लाया जायेगा।
- प्रश्नों के उत्तर विधानसभा सचिवालय द्वारा अक्षरशः मुद्रित सूचीबद्ध प्रश्नों के अनुरूप ही दिये जायें और विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उत्तर के उल्लेखानुसार सहपत्र संलग्न है अथवा नहीं, साथ ही विभागों द्वारा गहराई से यह जांच कर लेनी चाहिए कि प्रश्नों में उठाये गये बिन्दुओं का उत्तर हर प्रकार से पूर्ण स्पष्ट एवं त्रुटिरहित है और उत्तर की सभी प्रतियां सुपाठ्य हैं।
- कई बार एक ही विषय पर तारांकित व अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्नों के नोटिसेज दिए जाते हैं अथवा कई सदस्य दोनों प्रकार के प्रश्नों के नोटिसेज एक ही विषय को लेकर देते हैं और एक ही विषय पर आये प्रश्न किसी सूची में सूचीबद्ध हो जाते हैं और ऐसी उनकी सूचना अन्य प्रकार प्रश्नों के रूप में मुद्रित विभाग के पास पहुँच

Signature valid



RajKaj Ref
5200602
Digitally signed by Gyan Brakash Gupta
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.12.19 13:43:28 IST
Reason: Approved

जाए और इसकी जानकारी जैसे ही विभाग के ध्यान में आये तत्काल विधानसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे देनी चाहिए।

5. यदि कोई प्रश्न गत सत्र में सूचीबद्ध हो चुका है और उसका उत्तर दिया जा चुका है और हू-ब-हू फिर से वैसा ही प्रश्न पहुंच जाये तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया जाकर, केवल पूर्व में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण सन्दर्भ सहित सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर का ध्यान आकर्षित कर प्रश्न प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् भिजवाया जाना चाहिए।
6. यदि किसी प्रश्न का संबंध उस विभाग अथवा मंत्री महोदय से न हो जिन्हें वह प्रश्न विधानसभा सचिवालय द्वारा भेजा गया है तो तत्काल ही उस प्रश्न को संबंधित विभाग या मंत्री महोदय को भिजवाते हुए (जिसका उससे संबंध हो)। ऐसे स्थानान्तरण की सूचना विधानसभा सचिवालय, संबंधित मंत्री महोदय को भी अविलम्ब भेज देना चाहिए। यदि मंत्री महोदय ऐसे प्रश्न के आ जाने पर सदन में इस आपत्ति को रखेंगे कि यह प्रश्न उनसे संबंधित नहीं, तो माननीय अध्यक्ष के लिए सदन में उसे स्वीकार करना कठिन होगा।
7. यदि किसी प्रश्न में दूसरे विभागों के बिन्दु भी सम्मिलित हो तो प्रश्न प्राप्तकर्ता मूल विभाग का यह कर्तव्य होगा कि उस विभाग से संबंधित बिन्दु की उत्तर सामग्री प्राप्त कर, प्रश्न का पूरा उत्तर तैयार करें और मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिलवाया जाये।
8. साधारणतया किसी प्रश्न को स्थगित नहीं कराया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रश्न का उत्तर स्थगित कराने की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग को चाहिए कि वे नियत दिन से हर हालत में दो दिन पूर्व इस आशय का पत्र विधानसभा सचिवालय को भेज दें। इसके बाद प्राप्त इस आशय के पत्रों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। यही स्थिति लम्बे उत्तर वाले प्रश्नों के बारे में भी है।
9. यह भी देखना आवश्यक है कि प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं में यदि कुछ बिन्दुओं की उत्तर सामग्री उपलब्ध है तथा किन्हीं बिन्दुओं की सामग्री तैयार नहीं हो सकी है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का आंशिक उत्तर दे दिया जाये तथा दूसरे बिन्दुओं के लिये स्थिति अंकित कर दी जाये। ऐसी स्थिति में प्रश्न को स्थगित कराये जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
10. जिन प्रश्नों के उत्तर के साथ कोई संलग्नक होते हैं, तो ऐसी सामग्री को पूर्ण सतर्कता के साथ उत्तर के साथ ही विधानसभा सचिवालय को भेजना चाहिए। यदि कोई सूची/सामग्री उत्तर के साथ प्राप्त नहीं होगी तो यह माना जायेगा कि उत्तर ही विधानसभा सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ है और सदन में उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। ये सूचियाँ भी सुपाठ्य होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर सामग्री के अतिरिक्त उस विषय से संबंधित पूरक सामग्री जो प्रभारी मंत्री महोदय के लिए तैयार की गयी है, उनकी प्रति विधानसभा सचिवालय को नहीं भेजी जाए।
11. निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रश्न का उत्तर भिजवाने से पूर्व परीक्षण (राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली) के नियम 37(2)के अन्तर्गत) कराया जा सकता है:-
 - I- उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन संबंधित न हो।
 - II- उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हों।
 - III- यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा।
 - IV- उसमें प्रत्कं अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।
 - V- उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा।
 - VI- उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्तावों के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो।
 - VII- उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो।
 - VIII- वह अत्यधिक लम्बा नहीं होगा।
 - IX- उसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निर्देश ग्रन्थों में दी गयी हो।
 - X- उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके।
 - XI- उसमें किसी विशेष कार्यवाही हेतु वस्तुतः कोई सुझाव या प्रार्थना न की जावेगी किन्तु उसमें ऐसे किसी मामले के प्रति, जिस पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता हो, सरकार के विचार संबंधी वक्तव्य की मांग की जा सकती है।
 - XII- वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया सरकार का विषय न हो।
 - XIII- उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अन्तर्गत विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो।
 - XIV- उसमें व्यक्तिगत रूप का दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा।
 - XV- उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सदन के सामने न रखी गयी हो।
 - XVI- उसमें ऐसे प्रश्नों की सारतः पुनरुक्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो।
 - XVII- उसमें तुच्छ विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी।
 - XVIII- उसमें साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी।

Signature valid

RajKaj Ref : Digitally signed by Gyan Prakash Gupta
5260602 Designation : Principal Secretary To
Government Date: 2023.12.19 13:43:28 IST
Reason: Approved

- XIX- उसमें साधारणतया ऐसे विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो किसी समिति के समक्ष विचाराधीन हो।
- XX- उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कोई न्यायिक या अद्वन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, यदि उसमें न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।
- XXI- उसका संबंध एक ही विषय से होगा।
- XXII- जब तक उसमें किसी सिद्धान्त अथवा नीति का प्रश्न हो, उसमें व्यवित्तगत मामला नहीं उठाया जायेगा।
- XXIII- वह ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में हों।
- XXIV- उसका संबंध स्थानीय निकायों अथवा अन्य स्वायत्तशासी या अद्वस्वायत्तशासी निकायों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से नहीं होगा, परन्तु उसके द्वारा उनके राज्य सरकार के संबंध से उत्पन्न विषय पर सूचना चाहीं जा सकेगी अथवा उसमें कानून या नियमों के उल्लंघन का निर्देश किया जा सकेगा अथवा उसका संबंध जन कल्याण के महत्वपूर्ण विषयों से हो सकेगा।
- XXV- उसमें मत्रिमण्डल में हुए विचार-विमर्श अथवा राज्यपाल को किसी ऐसे विषय में दी गई सलाह के बारे में जानकारी नहीं मांगी जायेगी जिसे प्रकट न करने के संबंध में कोई संवैधानिक, संविहित अथवा परम्परागत दायित्व हो।
12. प्रश्न के उपरोक्तानुसार होने की स्थिति में उसकी सूचना विधानसभा सचिवालय को प्रश्न प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् प्रेषित करें ताकि माननीय अध्यक्ष द्वारा उसे गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सके। विधानसभा प्रश्नों की ग्राह्यता पुनः विनिश्चित किए जाने अथवा उन्हें अग्राह्य किए जाने के संबंध में पत्राचार/आग्रह करने वाले पत्र में संयमित भाषा अन्त में लायी जावें।
13. राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 50 के अन्तर्गत सत्रकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं, इन प्रस्तावों के प्राप्त होने से **24 घण्टों की अवधि मूँतथ्यात्मक** उत्तर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय को अवगत कराते हुए प्रति संसदीय कार्य विभाग को भिजवायी जानी चाहिए।
14. राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सत्र काल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं, इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के **तीन दिवस की अवधि में** तथ्यात्मक उत्तर से राजस्थान विधानसभा सचिवालय को अवगत कराते हुए प्रति संसदीय कार्य विभाग को भिजवायी जानी चाहिए।
15. राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत सत्रकाल के दौरान विशेष उल्लेख प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं, इन प्रस्तावों के प्राप्त होने के **सात दिवस की अवधि में** ही उनके उत्तर संबंधित माननीय मंत्री महोदय की ओर से संबंधित माननीय विधायकों को भेजते हुए सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर एवं संसदीय कार्य विभाग को अवगत करा दिया जाना चाहिए।
16. विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रश्नों एवं प्रस्ताव (स्थगन, ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख) का उत्तर भेजे जाने वाले पत्र में विधानसभा का वांछित सन्दर्भ एवं सत्र का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि विभागों द्वारा प्रश्नों के उत्तर विधानसभा सचिवालय को तो भिजवा दिये जाते हैं, परन्तु प्रश्नों के प्रतियां चेंजिंग सेक्शन को नहीं भिजवायी जाती है, जिसके कारण प्रश्न बंकाया मान लिये जाते हैं, अतः **प्रश्नों के उत्तर की प्रति प्रशासनिक सुधार विभागों अवश्य भेजी जानी चाहिए** एवं प्रस्तावों के उत्तर संसदीय कार्य विभाग के परिपत्र 04.08.2022 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप यथाशीघ्र सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय को केवल ऑनलाईन (डिजीटल) रूप से ही भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए साथ ही, प्रस्तावों के उत्तर की **ऑफलाईन (हार्डकॉपी)प्रतियां संसदीय कार्य विभाग को नहीं भिजवायी जानी चाहिए।**
17. विधानसभा प्रश्न संबंधी कार्यों को त्वरित निष्पादन हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग अधिकृत है।
18. विधानसभा सत्रकाल में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न जो असूचीबद्ध रह जाते हैं, उन प्रश्न का उत्तर सत्र के स्थगित होने के 30 दिवस तथा अन्तः सत्रकालीन प्रश्नों के उत्तर 30 दिवस की अवधि में संबंधित मान विधायक एवं विधानसभा को भिजवाकर प्रशासनिक सुधार (अनु०-२) विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
19. विधानसभा सत्रकाल में सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तर की हार्डकॉपी के साथ विभागीय अधिकारी जिनको डिजीटल हस्ताक्षर जारी किए गये हैं, वे ही सत्रकाल में सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तरों की हार्डकॉपी के साथ अनिवार्य रूप से विधानसभा सचिवालय में उपस्थित होने के क्रम में प्रशासनिक सुधार (अनु०-२) विभाग की अशा.टी.प. क्रमांक: प.१(३)प्रसु/अनु०-२/२०१७ दिनांक 03.01.2019 में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।
20. विधानसभा प्रश्नों के सदन में उत्तर दिए जाने वाले दिवस पर संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव तथा संबंधित राजकीय उपकर्मों के प्रमुख भी विधानसभा में उपस्थित रहेंगे।
21. शून्यकाल में लोक महत्व के तात्कालिक मुद्राओं पर चर्चा की जाती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव व पर्ची के माध्यम से सदस्य अपनी राय सदन के समक्ष रखते हैं। इनमें कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व विशेष उल्लेख प्रस्तावों का विवरण उस दिन की कार्यसूची में अंकित होता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा द्वारा दी गई व्यक्तिगत कार्यसूची में निर्देश दिये जाने हैं कि प्रत्येक विभाग के प्रमुख शासन सचिव/सचिव माननीय मंत्री महोदय को उन विषयों पर तथ्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध

Signature valid

RajKai Ref : Digitally signed by Gyan Prakash Gupta
5200602 Designation : Principal Secretary To
Government Date: 2023.12.19 13:43:28 IST
Reason: Approved

- कराने हेतु राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहें। पर्वी के माध्यम से जो प्रकरण उठाये जाते हैं, उनका उल्लेख चूंकि कार्यसूची में नहीं होता है, इस कारण प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर अवश्यमेव राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहें व तथ्यात्मक टिप्पणी से प्रभारी मंत्री महोदय को अवगत कराएं।
22. प्रश्नकाल के दौरान समय संबंधित प्रश्नासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव मय उप सचिव व विभागाध्यक्षों के उपस्थित रहेंगे व प्रश्नकॉल के दौरान माननीय मंत्रीगण को आवश्यकतानुसार सहयोग करेंगे।
23. प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात् शून्यकाल प्रारम्भ होता है। शून्यकॉल में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है जो तात्कालिक महत्व के होते हैं। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा द्वारा प्राप्त 10.00 बजे ही लॉटरी के माध्यम से पर्वीं जो तात्कालिक महत्व के मुद्दों की होती है, पर चर्चा की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में प्रत्येक विभाग राजस्थान विधानसभा सचिवालय से यह जानकारी प्राप्त करें कि “उसके विभाग के संबंध में आज किसी स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या पर्वी के माध्यम से कोई चर्चा स्वीकृत है क्या?” यदि कोई प्रस्ताव या पर्वी स्वीकृत हुई है तो तत्काल प्रश्नासनिक विभाग उस विषय के संबंध में तथ्यात्मक विवरण तैयार कर माननीय मंत्री महोदय को उपलब्ध करवाएं ताकि यदि माननीय मंत्री महोदय आवश्यक समझे तो सदन के समक्ष बताव दे सकें।
24. **सत्रकालीन सूचीबद्ध तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों/स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही डिजिटल सिनेचर के माध्यम से मंगलफोट (यूनीकोड) में २०५ लाइन भिजवाए जाने के विधानसभा सचिवालय के निर्दश हैं।**

पर्याप्त मात्रा में पूरक सामग्री के अभाव में प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा सदन में प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः यह संबंधित विभागों के सचिवों का दायित्व है कि वे इन प्रश्नों का उत्तर तैयार कर मंत्री महोदय को प्रस्तुत करते समय समस्त पूरक सामग्री मंत्री महोदय को प्रस्तुत करें। प्रश्नों से संबंधित अन्य सूचना जिसका कि विधानसभा में पूरक प्रश्नों के रूप में पूछा जाना सम्भव हो सकता है, के संबंध में पूर्ण टिप्पण तैयार कर पूरक सामग्री के रूप में मंत्री महोदय को प्रस्तुत की जाये और मंत्री महोदय को संक्षेपण (BRIEFING) भी अवश्य ही कर दिया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों प्रक्रिया नियमों की पूर्ण पालना करने हेतु संबंधित अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक रूप से निर्देशित कर दिया जाए।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मा. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, उपमुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, प्रश्नासनिक सुधार विभाग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि गत सत्र के प्रश्नकाल के पश्चात् शासन सचिवालय के तीन-तीन अति-मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की वर्णक्रमानुसार तीन-तीन घण्टे के लिए राजस्थान विधानसभा के सदन में ड्यूटी आदेश राजकीय दीर्घा में बैठने के लिए लगाई जाने तथा उक्त क्रम में राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने तक जारी रहने, यदि किसी अधिकारी को किसी आवश्यक राज्यकार्य से कहीं अन्यत्र कार्य हो तो वह अपने किसी विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव को वहां तैनात कर ही राजकीय दीर्घा छोड़ उससे पूर्व नहीं, संबंधी निर्देश प्रदान किये गये थे, अतः वर्तमान में भी गत सत्र की भाँति राजस्थान विधानसभा के सदन में राजकीय दीर्घा में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें। इस हेतु कार्य आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावें।
6. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5200602
Digitally signed by Gyan Prakash Gupta
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.12.10 13:43:28 IST
Reason: Approved